संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 3.72 / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 18/8/ 2020

प्रति,

आयुक्त,
जन सम्पर्क संचालनालय,
म.प्र. भोपाल

विषयः– हरदा विकास योजना में उपांतरण की सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत्।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, संचालनालय द्वारा तैयार की गई एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हरदा विकास योजना में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 के प्रावधानांतर्गत तत्संबंधी सूचना (हिन्दी) की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त सूचना को हरदा नगर क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो हिन्दी के समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोपरि

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

पृ0क्रमांक / / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल

C:\Users\lenovo\Desktop\mansi\upantaran\harda Vikas Yojna.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश ,मध्यप्रदेश भोपाल

(कचनार,पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016
ई-मेल- mptownplan@mp.gov.in दूरभाष 0755-2427091

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि, हरदा विकास योजना, 2031 मे उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन 1973) सहपठित धारा 18 की उपधारा(1) के उपबंधो के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची मे प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रति निरीक्षण के लिए निम्न कार्यालयो मे उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशँगाबाद
2. कलेक्टर, जिला हरदा
3. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश होशंगाबाद म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा

अनुसूची

क्रमांक.	विकास योजना का नाम	विकास योजना का अध्याय एवं प्रावधान	उपांतरण प्रस्ताव
1	हरदा विकास योजना, 2031	**4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन** **4.7.1** ले-आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे:- **हरदा: ले-आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन** भूखण्डीय ले-आउट का न्यूनतम भूमि आकार **2.0** हेक्टेयर होगा। शेष् नियमन मध्यदेश भूमि विकास नियम **2012** के अनुरूप होंगे।	**4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन** **4.7.1** ले-आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे:- **हरदा: ले-आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन** ले-आउट में खुले क्षेत्र ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम **2012** के प्रावधानो के अनुरूप होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे की सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु बेबसाईट www.mptownplan.gov.in की पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति तथा सुझाव प्रारुप उपांतरण के संबंध मे हो, उसे लिखित मे कार्यालयीन समय मे नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय मे मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(अजीत कुमार)
आयुक्त-सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल (म.प्र)